बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन

पथ निर्माण विभाग अंतर्गत बिहार सड़क शोध संस्थान में Faculty के रूप में निम्न पदों पर सेवा निवृत्त कर्मियों के संविदा पर नियोजन हेतु आवदेन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

पद का नाम	पदों की संख्या	कोटिवार पदों का विवरण	योग्यता एवं अनुभव	मासिक मानदेय (रूपये में)
मुख्य अभियंता	01	अनारक्षित–01	मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद से अवकाश प्राप्त अधिकारी।	सेवा निवृत्त अधिकारी को सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड–पे तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।
अधीक्षण अभियंता	02	अनारक्षित–01 अ०पि०व०–01	अधीक्षण अभियंता (असैनिक) के पद से अवकाश प्राप्त अधिकारी।	
कार्यपालक अभियंता	03	अनारक्षित–01 अ०पि०व०–01 अनारक्षित (महिला)–01	कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद से अवकाश प्राप्त अधिकारी।	
सहायक अभियंता	04	अनारक्षित–01 अ०पि०व०–01 अनारक्षित (महिला)–01 अनुसूचित जाति–01	सहायक अभियंता (असैनिक) के पद से अवकाश प्राप्त अधिकारी।	

नियोजन हेतु शर्तें :–

1. सेवा निवृत्त पदाधिकारी का उक्त पदों के विरूद्ध चयन संविदा के आधार पर प्रथमतः 02 (दो) वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु पूरी होने में जो पहले हो तक के लिए किया जाएगा। अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
2. आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. आरक्षित कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. सेवा निवृत्त अधिकारी को सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड–पे तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।
5. सेवा निवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्त्तित रहेगा।
6. वैसे पदाधिकारी जिन पर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अध्यारोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जायेगी। अनिवार्यतः पी०पी०ओ० की प्रति संलग्न करनी होगी।
7. संविदा के आधार नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।
8. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
9. Online आवेदन दिनांक 02.07.2019 से दिनांक 23.07.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार होंगे। स्वीकार Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाईनल प्रिंट निकालकर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
10. व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।

D:\BINOD\RAJESH KUMAR\DRAFT & LETTER -1.DOCX

11. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्व कोई दावा मान्य नहीं होगा।

12. कोटिवार पदों की संख्या आदर्श रोस्टर बिन्दु के आधार पर अंकित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस यदि कोई संशोधन किया जाता है, तो तदनुसार उक्त कोटिवार संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

13. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट **www.rcd.bih.nic.in** का अवलोकन किया जाय। इस वेबसाईट पर Online आवेदन करने का Link उपलब्ध है।

28.6.19

(रत्नेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।